FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/11/2026 14:08 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Sunday **Date from (दिनांक से):** 01/01/2023 **Date To (दिनांक तक):** 01/01/2023

Time Period (समय अवधि): Pahar 1 **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/11/2026 **Time (समय):** 13:31 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 016 **Date and Time (दिनांक और समय):** 03/11/2026 13:31 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-EAST, 22 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गांव जोधपुर, कालका,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** स0उ0नि0 नरेन्द्र कुमार नं0 11 पंचकुला

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1984 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS SV AND ACB PKL, ACB, Panchkula, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS SV AND ACB PKL, ACB, Panchkula, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416377436

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विक्रम सिंगला तहसीलदार			1. तहसील कालका, KALKA,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	जितेन्द्र गिल नायब तहसीलदार			1. तहसील कार्यालय कालका, KALKA,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
3	सोमनाथ हल्का पटवारी			1. कार्यालय तहसील कालका, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
4	मक्खन सिंह कानूनगो			1. कार्यालय तहसील कालका, KALKA,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
5	गुरदीप सिंह प्राइवेट व्यक्ति			1. निवासी दिल्ली,NEW DELHI,DELHI,INDIA
6	अन्य निजी व्यक्तियों			1. कार्यालय तहसील कालका, PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,
प्रबन्धक थाना,

राज्य सतकर्ता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सेक्टर -17 पंचकूला।
श्रीमान जी,

निवेदन है कि कार्यालय माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ के माध्यम से एक गुप्त सूचना/शिकायत कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक न. 21315/शिकायत/61/CM/पंचकूला/2023, दिनांक 22.12.2023 व पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला के पत्र क्रमांक 74/SP/SV/ACB/PKL दिनांक 22.12.2023 के अनुसार आवश्यक सत्यापन के लिए प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप था कि, जिला पंचकूला के गाँव जोधपुर में सन 1947 में पाकिस्तान से भारत आए प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति को अलाट जमीन खसरा नम्बर 63/69/70 में रकबा 38 बीघे 17 बिस्वे का फर्जी कागजात वसीयत व गाँव जोधपुर के नम्बरदार सतपाल की फर्जी वंश-वृक्ष तसदीक के आधार पर किसी गुरदीप सिंह निवासी दिल्ली के नाम विरासत के आधार अवैध रुप से इंतकाल किया गया और इसके तुरन्त बाद सतपाल व उसके भाई द्वारा इस जमीन में से कुछ हिस्सा गुरदीप सिंह से खरीद लिया गया और बाकी हिस्सा बारे गुरदीप सिंह द्वारा अलग-2 लोगों को GPA/SPA दी गई जिनके आधार पर कुछ ही दिनों के अंतराल में कई अलग-2 व्यक्तियों को बेच दी गई।

उपरोक्त गुप्त सूचना/शिकायत का सत्यापन तत्कालीन सत्यापन अधिकारी श्री विजय कुमार नेहरा, ह.पु.से. उप पुलिस अधीक्षक, एस.वी. एवं ए.सी.बी. पंचकूला, द्वारा किया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 06.06.2026 को प्रस्तुत की। सत्यापन के दौरान पाया गया कि प्रताप सिंह उप्पल पुत्र मनोहर सिंह उप्पल पुत्र आत्माराम, जो वर्ष 1947 में पाकिस्तान से भारत आकर आए थे, जिनको सरकार द्वारा गांव जोधपुर, तहसील कालका, जिला पंचकूला में 38 बीघा 17 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त प्रताप सिंह उप्पल या उनके रिश्तेदार कभी गांव जोधपुर नहीं आए और यह भूमि तब से खाली (अकब्जा) पड़ी थी। वर्ष 2023 में, गांव जोधपुर के नंबरदार सतपाल की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों यानी मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत और एक फर्जी पारिवारिक वंशावली (फैमिली ट्री) के आधार पर उपर्युक्त भूमि का इंतकाल (म्यूटेशन) दिल्ली निवासी गुरदीप सिंह के नाम दर्ज कर लिया गया। इस प्रकार, जोधपुर के तत्कालीन हल्का पटवारी सोमनाथ, तत्कालीन फील्ड कानूनगो मक्खन सिंह और कालका के तत्कालीन तहसीलदार विक्रम सिंगला द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर उक्त भूमि को धोखाधड़ी से गुरदीप सिंह के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। नंबरदार सतपाल और उसके भाई नरेश ने तुरंत इस जमीन का कुछ हिस्सा गुरदीप सिंह से खरीद लिया। इसके अलावा, गुरदीप सिंह ने कालका के तत्कालीन नायब तहसीलदार जितेन्द्र गिल की मिलीभगत से कुछ ही दिनों के भीतर जी.पी.ए./एस.पी.ए. के माध्यम से शेष भूमि विभिन्न व्यक्तियों को बेच दी। विस्तृत तथ्य निम्न प्रकार से हैं:-

1. प्रताप सिंह पुत्र मनोहर लाल पुत्र आत्माराम (जाति: खत्री सिख) की उपर्युक्त भूमि का ट्रांसफर इंतकाल नंबर 341, दिनांक 22.03.2023 के जरिए दिल्ली निवासी गुरदीप सिंह के नाम किया गया, जिसने कालका तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत अपने आवेदन और दिनांक 01.03.2023 के शपथ पत्र के आधार पर खुद को स्वर्गीय प्रताप सिंह का इकलौता जीवित कानूनी वारिस बताया था।
2. इंतकाल नंबर 341, दिनांक 22.03.2023, जोधपुर के तत्कालीन हल्का पटवारी सोमनाथ, तत्कालीन फील्ड कानूनगो मक्खन सिंह और कालका के तत्कालीन तहसीलदार विक्रम सिंगला द्वारा, नगर परिषद फरीदकोट, पंजाब द्वारा जारी एक व्यक्ति प्रताप सिंह पुत्र मनोहर सिंह पुत्र करतार सिंह (जाति: मजहबी सिख) के मृत्यु प्रमाण पत्र (संख्या: DU/ES/69/0045607095, क्रम संख्या: ES15682286, पंजीकरण तिथि: 23.12.1969) तथा स्वर्गीय प्रताप सिंह द्वारा लिखी गई एक अपंजीकृत वसीयत के आधार पर किया गया था।
3. सतपाल नंबरदार गांव जोधपुर ने गुरदीप सिंह की पारिवारिक वंशावली का फर्जी तरीके से सत्यापन किया, जिसका उपयोग इंतकाल की कार्यवाही में किया गया।
4. श्री विक्रम सिंगला तहसीलदार, सोमनाथ हल्का पटवारी और मक्खन सिंह कानूनगो इस बात से आधिकारिक रूप से भली-भांति परिचित थे कि कानूनी रूप से बिना उचित सत्यापन के अपंजीकृत वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उपर्युक्त लोक सेवकों द्वारा गुरदीप सिंह और अन्य के साथ मिलीभगत करके और भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर उक्त भूमि का ट्रांसफर किया गया।
5. दिनांक 22.03.2023 को गुरदीप सिंह के नाम भूमि के ट्रांसफर के तुरंत बाद, उसने सेल डीड संख्या 42, दिनांक 05.04.2023 के माध्यम से 10 बीघा जमीन नंबरदार सतपाल और उसके भाई नरेश कुमार को बेच दी। शेष भूमि के संबंध में, गुरदीप सिंह द्वारा 17 बीघा जमीन की जी.पी.ए. नंबरदार सतपाल और नरेश कुमार को दी गई तथा 11 बीघा

17 बिस्वा जमीन की दूसरी जी.पी.ए. सुरेंद्र शर्मा और अंकुश (दोनों निवासी झज्जर) को दी गई। तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री जितेन्द्र गिल द्वारा पंजीकृत अलग-अलग सेल डीड संख्या 2412 दिनांक 27.09.2023, सेल डीड संख्या 2520 दिनांक 09.10.2023, सेल डीड संख्या 2440 दिनांक 28.09.2023, सेल डीड संख्या 2434 दिनांक 28.09.2023 के माध्यम से इन जमीनों को आगे बिना किसी दाम के या बहुत ही कम दाम में बेच दिया गया।

6. उपर्युक्त भूमि हरियाणा सरकार की है क्योंकि स्वर्गीय प्रताप सिंह का कोई भी कानूनी वारिस जीवित नहीं है।

7. विक्रम सिंगला तहसीलदार, जितेन्द्र गिल नायब तहसीलदार, सोमनाथ हल्का पटवारी और मक्खन सिंह कानूनगो के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथासंशोधित) की धारा 7, स्पष्टीकरण 2 (i) तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-B का होना पाया गया।

सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, राज्य सतकर्ता एवं भ्रष्टाचार निरोधक, पंचकूला द्वारा पत्र क्रमांक 1982/SV ACB Panchkula दिनांक 14.07.2026 के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, राज्य सतकर्ता एवं भ्रष्टाचार निरोधक, (हरियाणा) पंचकूला को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि उपर्युक्त लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पी.सी. अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन (prior approval) प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। पुलिस महानिदेशक, राज्य सतकर्ता एवं भ्रष्टाचार निरोधक, (हरियाणा) पंचकूला के पत्र क्रमांक 16182/शिकायत/61/CM/PKL/2026 दिनांक 14.08.2026 के उत्तर में, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सतर्कता विभाग) ने पत्र क्रमांक 62/96/2026-4VII दिनांक 25.09.2026 के अन्तर्गत विक्रम सिंगला तहसीलदार, जितेन्द्र गिल नायब तहसीलदार, सोमनाथ हल्का पटवारी और मक्खन सिंह कानूनगो के खिलाफ पी.सी. अधिनियम की धारा 17ए के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार को ध्यान में रखते हुए विक्रम सिंगला (तहसीलदार), जितेन्द्र गिल (नायब तहसीलदार), सोमनाथ (हल्का पटवारी), मक्खन सिंह (कानूनगो), गुरदीप सिंह (प्राइवेट व्यक्ति) निवासी दिल्ली और अन्य निजी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 7, स्पष्टीकरण 2 (i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथासंशोधित) की और धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-B भारतीय दंड संहिता (IPC) की के तहत मामला (FIR) दर्ज की जाए। उपरोक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के बाद, स्पैशल रिपोर्ट माननीय स्पैशल जज, पंचकूला की अदालत तथा राज्य सतकर्ता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाए । अभियोग का आगामी अनुसंधान उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार निरीक्षक अजय कुमार के नाम मार्क किया गया है, इसलिए मामले की पूर्ण फाइल व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक अजय कुमार के हवाले की जाए । अभियोग के अनुंसधान के दौरान यदि किसी अन्य लोकसेवक/निजी व्यक्ति की कोई संलिप्ता पाई जाती है तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिया जाए।

स्थानः थाना एस.वी. एवं ए.सी.बी. सेक्टर -17 पंचकूला।

हस्ताक्षर नरेन्द्र कुमार स0उ0नि0

(नरेन्द्र कुमार, स.उ.नि.)

थाना एस.वी. एवं ए.सी.बी., पंचकूला ।

दिनांकः 03.11.2026

समय 1:15 PM

अज थाना - उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 17 दिनांक 03.11.2026 धाराधीन धारा 7, स्पष्टीकरण 2 (i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथासंशोधित) की और धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-B भारतीय दंड संहिता (IPC) थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया गया । प्र0सू0रि0 की प्रतियां स्पैशल मैजीस्ट्रैट कोर्ट पंचकुला की सेवा मे ईमेल के माध्यम से व उच्च अधिकारियो की सेवा में भिजवाई जा रही है । अभियोग का आगामी अनुसंधान करने के लिए उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मन निरीक्षक के नाम मार्क किया गया है अभियोग अंकित करके मामले की पूर्ण फाइल व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां आगामी अनुसंधान हेतु खुद की तहबील में ली जाएगी । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** AJAY KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): PSI **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): POOJA DABLA

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1986				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1985				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	1986				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	1986				**Is pox pitted:** Yes
5	Male	1986				**Is pox pitted:** Yes
6	Male	1986				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)